भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *272

दिनांक 07 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

.....

सिंचाई एवं जल प्रबंधन हेतु धनराशि

*272. श्री राजेश रंजनः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार केंद्रीय पूल से राज्यों को बड़ी सिचाई योजनाओं, जल प्रबंधन और ऊंचे बाँधों के निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराती है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान इस प्रयोजन हेतु राज्यवार तथा परियोजनावार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री
(श्री सी आर पाटील)

(क) और (ख): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'सिंचाई एवं जल प्रबंधन हेतु धनराशि' के संबंध में दिनांक 07.08.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय तारांकित प्रश्न सं. *272 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, वित्तपोषण, क्रियान्वयन और रखरखाव राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित मौजूदा योजनाओं के अंतर्गत तकनीकी सहायता और कुछ मामलों में आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें बड़ी सिंचाई योजनाओं और कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन के लिए आंशिक वित्तीय सहायता भी शामिल है।

(ख): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) एक अम्ब्रैला योजना है, जिसके दो प्रमुख घटक अर्थात् त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और हर खेत को पानी (एचकेकेपी) हैं, जिसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। एचकेकेपी में एक उप-घटक अर्थात् कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडी और डब्ल्यूएम) शामिल है, जिसे एआईबीपी के साथ समान रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है।

एआईबीपी घटक देश में नई सिंचाई क्षमता के सृजन/सिंचाई क्षमता की बहाली के लिए बृहद, मध्यम और विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (ईआरएम) परियोजनाओं को पूरा करने पर बल देता है। सीएडी और डब्ल्यूएम जल उपयोगकर्ता संघों के माध्यम से कमांड क्षेत्र विकास और सहभागी सिंचाई प्रबंधन के लिए समर्पित है।

इसके अतिरिक्त, विदर्भ, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के अन्य सूखाग्रस्त क्षेत्रों में 8 एमएमआई और 83 सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2018-19 के दौरान भारत सरकार द्वारा आंशिक वित्तीय सहायता के लिए एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी गई है।

इसके अतिरिक्त, जल शक्ति मंत्रालय की राष्ट्रीय परियोजना स्कीम के अंतर्गत शामिल परियोजनाओं को इस मंत्रालय द्वारा पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत या अलग से आंशिक रूप से वित्तपोषित किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त योजनाओं के तहत विभिन्न राज्यों को जारी केंद्रीय सहायता (सीए) का विवरण इस प्रकार है।

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	जारी की गई केंद्रीय सहायता वर्ष 2022-23 से 2024-25 (रूपये करोड़ में)
पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत केंद्रीय सहायता			
1	असम	शुक्ला सिंचाई परियोजना की ई.आर.एम	84.44
2	छत्तीसगढ	केलो सिंचाई परियोजना	5.42
3	गुजरात	सरदार सरोवर परियोजना	105.32
4	झारखंड	नार्थ कोयल	49.82
5	कर्नाटक	भीम लिफ्ट सिंचाई योजना	3.42
6	मध्य प्रदेश	इंदिरा सागर परियोजना नहर चरण-III	4.42
7		पेंच परियोजना	5.25
8		बरगी डायवर्जन परियोजना चरण-III	59.91
9		बरगी डायवर्जन परियोजना चरण-IV	58.91
10	हिमाचल प्रदेश	नादौन परियोजना	5.44
11		फीना सिंह बहुउद्देशीय परियोजना	11.91
12		रेणुकाजी बांध परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना)	766.64
13	राजस्थान	परवन बहुउद्देशीय परियोजना	358.28
14	महाराष्ट्र	कृष्णा कोयाना लिफ्ट सिंचाई योजना	85.66
15		ताराली परियोजना	4.30
16		संगोला ब्रांच नहर परियोजना	6.02
17		बेम्बला सिंचाई परियोजना	21.94
18		ऊपरी पेन गंगा परियोजना	51.12
19		निचला वर्धा परियोजना	13.56
20		निचला पेढ़ी परियोजना	1.77
21		नारदवे (महामदवाडी) परियोजना	1.65

22		गोसीखुर्द परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना)	198.81
23		जिहे कथापुर परियोजना	201.27
24	मणिपुर	निचला पेढ़ी परियोजना	30.79
25	पंजाब	शाहपुर कंडी बांध परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना)	196.38
26		राजस्थान फीडर की रीलाइनिंग	353.29
27		सरहिन्द फीडर की रीलाइनिंग	25.43
28	उत्तर प्रदेश	सरयू नहर परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना)	14.51
29		मध्य गंगा नहर चरण-II	9.40
30	उत्तराखंड	जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना	405.00
31		लखवार बहुउद्देशीय परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना)	279.11
32	तमिलनाडु	कन्नड़ चैनल परियोजना	25.70
अलग से वित्तपोषित की जा रही, राष्ट्रीय परियोजना के लिए केंद्रीय सहायता			
33	आंध्र प्रदेश	पोलावरम परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना)	7,911.51
34	उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश	केन-बेतवा लिंक परियोजना	3,970.91
पीएमकेएसवाई-सीएडीडब्ल्यूएम के अंतर्गत केंद्रीय सहायता			
1	छत्तीसगढ	मनियारी टैंक परियोजना	7.56
2		खारुंग परियोजना	2.63
3	कर्नाटक	ऊपरी तुंगा सिंचाई परियोजना	2.97
4	मध्य प्रदेश	पेंच परियोजना	0.44
5		इंदिरा सागर परियोजना नहर चरण- I और II	21.88
6		ओंकारेश्वर परियोजना नहर चरण- III	7.00
7	राजस्थान	नर्मदा नहर परियोजना	15.95
8		गंग नहर का आधुनिकीकरण	36.38
9	महाराष्ट्र	बावनथड़ी परियोजना	1.98
10		लोअर दुधना परियोजना	13.44
11		तिल्लारी परियोजना	4.59
12		लोअर वर्धा परियोजना	15.97

13		नंदूर मध्मेश्वर परियोजना चरण- II	10.35
14		गोसीखुर्द परियोजना	72.84
15		अपर पेन गंगा परियोजना	1.67
16		बेम्बला परियोजना	12.47
17		तराली परियोजना	3.45
18		अर्जुन परियोजना	5.68
19		कृष्णा कोयना लिफ्ट सिंचाई योजना	6.35
20		गदनदी परियोजना	0.12
21	मणिपुर	थौबल परियोजना	5.88
22		दोलाईथाबी बैराज परियोजना	1.86
23	पंजाब	प्रथम पटियाला फीडर और कोटला शाखा परियोजना का पुनर्वास	84.00
महाराष्ट्र पैकेज के अंतर्गत केंद्रीय सहायता			
1	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र 8 एमएमआई और 83 एसएमआई परियोजनाएं	1,098.95

इसके अतिरिक्त, पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडी और डब्ल्यूएम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय सहायता के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं को क्रमशः 850.17 करोड़ रुपये और 69.74 करोड़ रुपये की मूल(मदर) स्वीकृतियां जारी की गई हैं, जिसमें राज्यों को अभी व्यय करना है।

*****